न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–338/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/338)

1. अनिल पुत्र जेठमल, जाति बाह्मण, निवासी जालिया द्वितीय, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. लक्ष्मणलाल पुत्र मोतीलाल
2. रामकरण पुत्र मोतीलाल
   समस्त जाति बाह्मण, निवासी गिरवर रोड़ जालिया द्वितीय, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।
3. घीसालाल पुत्र मोतीलाल (फौत)
   3/1 शांति
   3/2 रमेशचंद
   3/3 हरीशचंद
4. सत्यनारायण पुत्र रामलाल
5. मदनलाल पुत्र रामलाल
6. श्रीमती नानी पत्नि रामलाल
7. आरती पुत्री जेठमल
8. श्रीमती गीता पत्नि जेठमल
   समस्त जाति बाह्मण, निवासी जालिया द्वितीय, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बिजयनगर, जिला अजमेर।
10. शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक शाखा जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2021 उपखण्ड अधिकारी मसूदा, राजस्व वाद संख्या 98/2020

उपस्थितः–

1. श्री हसन खान, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री वैभव पारीक, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6.
3. श्री राजेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 10.
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 9.
5. रेस्पोडेंट संख्या 7, 8 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः–06.04.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 98/2020 में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.03.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 वादीगण द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 10 प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 बाबत विभाजन हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 4215 व 4220 कुल किता 2 कुल रकबा 11.8679 हैक्टर वाके ग्राम जालिया, तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित है उपरोक्त आराजीयात में वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का 1/5 हिस्सा तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 का 1/5 तथा अपीलांट तथा रेस्पोडेंट संख्या 4 लगायत 8 का 1/15–1/15 हिस्सा राजस्व अभिलेख अनुसार दर्ज है। उक्त अनुसार वाद डिक्री कर विभाजन की आज्ञप्ति प्रदान की जावे। उक्त प्रस्तुत वाद में रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 6 द्वारा प्रतिवाद पत्र के साथ वांछित संलग्न मानचित्र अनुसार वाद पत्र को डिक्री किए जाने का निवेदन किया एवं अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 की ओर से आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को प्राथमिक स्तर पर ही निरस्त किए जाने हेतु निवेदन किया तथा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व में पक्षकारान के मध्य रूप से आपस में विभाजन हो रखा है। जिसके अनुसार विभाजन में बंजर भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 4 लगायत 7 के हिस्से में दी गई तथा अधिक उन्नत भूमि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 तथा 3 लगायत 6 को दी गई है। इस कारण 1/5 हिस्से की भूमि के अतिरिक्त तीन बीघा भूमि अपीलांट व प्रतिवादी संख्या 7 से 8 को अतिरिक्त दी गई। जो कि 1/5 हिस्से के अतिरिक्त तीन बीघा भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 उक्त 3 बीघा भूमि को हडपना चाहते है। अतः प्रस्तुत वाद पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। साथ ही काउन्टर वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 का 1/5 हिस्से के अतिरिक्त तीन बीघा भूमि पर मौखिक विभाजन अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। जिस अनुसार खातेदार घोषित किए जाने योग्य है। अतः 1/5 हिस्से की भूमि के अतिरिक्त तीन बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जावे व स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति पारित की जावे। उपरोक्त प्रस्तुत राजस्व वाद में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनांक 10.3.2021 को उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर एकमात्र वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 6 की बहस सुनी जाकर आक्षेपित निर्णय दिनांक 12.3.2021 से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है, अंकन करते हुए वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का वाद पत्र डिक्री किए जाने के आदेश पारित किया गया है एवं इसके पश्चात दिनांक 3.9.2021 को पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित नक्शे कुरेजात के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की जाकर अपीलांट को उसके खातेदारी की आराजीयात से महरूम किए जाने बाबत आदेश पारित किए गए है। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 98/2020 में पारित आदेश दिनांक 12.03.2021 जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 07, 08 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 12.3.2021 पारित किए जाने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, पत्रावली में प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण संख्या 7 व 8 को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए एकपक्षीय आदेश अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 की सहमति होना वर्णित करते हुए पारित किए गए है। जिसकी किसी प्रकार की सूचना अथवा जानकारी अपीलांट को निर्णय से पूर्व नहीं दी गई। राजस्थान राज्य में कोरोना अवधि के दौरान प्रार्थी अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सके व ना ही प्रकरण में पारित निर्णय की जानकारी रही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 7 को

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

निरस्त करते हुए अंतिम डिक्री दिनांक 3.9.2021 को पारित की गई है, प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजीयात जो कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के हिस्से की आराजीयात में शामलात रही है, पर जबरन दखलंदाजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा किए जाने पर प्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का से सम्पर्क किया, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा निर्णय व डिक्री के बावत अवगत कराया गया, तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा राजस्व अभिलेख की प्रति प्राप्त करने पर उक्त इंद्रजात के बावत जानकारी हुई, तत्पश्चात अपने अधिवक्ता से दिनांक 9.10.2022 को सम्पर्क कर प्रकरण में जानकारी चाही गई। जिस पर उनके अधिवक्ता द्वारा अनभिज्ञता जाहिर की गई एवं न्यायालय से प्रकरण की जानकारी 10.10.2022 को प्रस्तुत किया गया। जानकारी होने पर आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 12.10.2022 को उपलब्ध होने पर तथा प्रार्थी को उक्त आदेश के विरूद्ध चाराजोही किए जाने हेतु विधिक जानकारी दी गई। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 /वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र से पूर्व पक्षकारान के मध्य मौके पर मौखिक विभाजन अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 को पृथक से तीन बीघा भूमि दी गई। जिस बावत अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है उक्त आधार पर प्रकरण में बिना तनकियात कायम किए अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 10.3.2021 को की जाकर प्रकरण को बिना दस्तावेजात को प्रदर्शित कराए, बिना साक्ष्य लिए डिक्री किए जाने के आदेश पारित किए गए है। आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.3.2021 में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार योग्य नहीं होने से अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 की अनुपस्थिति दर्शाते हुए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए गए है। जबकि जा0दी0 के आदेश 9 नियम 8 के अनुसरण में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 की अनुपस्थिति में अधिकाधिक काउन्टर क्लेम को अदम हाजरी पैरवी में निरस्त किया जा सकता था। किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को अपीलांट की अनुपस्थिति दर्शाते हुए गुणावगुण पर निरस्त किया जाकर वाद पत्र को प्राथमिक डिक्री किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद में न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर साधारण नोटिस जारी किए जाने के आदेश दिए गए है जिनकी तामिली रिपोर्ट हेतु पत्रावली तक जेरकार रही है उक्त प्रस्तुत वाद पत्र में एकमात्र रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 6 द्वारा सहमति दी जाकर वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित बताया है, अंकन करते हुए तनकियात निर्मित किए बगैर बिना साक्ष्यों को प्रदर्श मार्क किए दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के अभाव में प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.3.2021 को पारित की गई है। जबकि वादी अथवा उसकी ओर से किसी प्रकार की कोई साक्ष्य वाद निरस्तारण हेतु प्रदर्शित नहीं कराई गई व ना ही वादी साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ है। एकमात्र प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 6 के द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर वादपत्र को डिक्री किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसरण में तनकियात निर्मित की जाकर साक्ष्य ली जाकर वाद का निस्तारण किया जाना चाहिए। किंतु विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत वाद पत्र में बिना खातेदारान को नोटिस जारी किए, बिना विधिवत रूप से न्यायिक प्रक्रिया के अनुसरण में साक्ष्य लिए बिना ही वाद पत्र को डिक्री किए जाने के आदेश दिए गए है। वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को एकपक्षीय रूप से डिक्री किया जाकर इन्हीं सहखातेदारान के नाम रहे राजस्व अभिलेख में रहे अंकन के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात को विभाजन किए जाने के आदेश दिए गए हैं एवं

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

इसके पश्चात एकमात्र रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 6 की उपस्थिति में अंतिम डिक्री पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित एकपक्षीय नक्शे कुरेजात के आधार पर प्रस्तुत वाद को निर्णय दिनांक 3.9.2021 से अंतिम डिक्री के आदेश पारित किए गए। न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में तनकियात कायम किए बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किए पत्रावली में प्राथमिक डिक्री पारित कर निर्णित किया गया है एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना साक्ष्य लिए वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को डिक्री किए जाने के आदेश पारित किए गए है, जिसकी अनुपालना में एकपक्षीय रूप से नक्शे कुरेजात जो कि आज्ञात्मक प्रावधानों के विपरीत प्रेषित की है, पर बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए एकमात्र वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का हिस्सा पृथक रूप से दर्शाया जाकर विशिष्ठ भू भाग की आराजीयात को उसके नाम अंकन कर शेष रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 व अपीलांट का हिस्सा शमलाती रूप से जमाबंदी में अंकन किए जाने बाबत अंतिम डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष अपीलांट द्वारा दिनांक 25.3.2021 को प्रार्थना पत्र एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त किए जाने बाबत प्रस्तुत किया गया जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बिजयनगर से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है, पर एकमात्र वादी की बहस सुनी जाकर वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 3.9.2021 को नियत की गई एवं उक्त पेशी पर एकमात्र वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की बहस सुनी जाकर प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर ही अंतिम डिक्री पारित की गई है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 98/2020 में पारित आदेश दिनांक 12.03.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.02.2021 को रेस्पोडेन्ट/वादी संख्या 01,02 द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब पेश किया गया तथा जवाब की प्रति प्रतिवादी संख्या 5 /अपीलांट एवं प्रतिवादी संख्या 06 व 07/रेस्पोडेन्ट संख्या 07, 08 को दी गई तत्पश्चात् दिनांक 04.03.2021 को प्रतिवादी संख्या 5 से 07 बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुए तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 07 का न्यायहित में सुनवाई का अवसर प्रदान किया। दिनांक 10.03.2021 को भी प्रतिवादी संख्या 5 से 07 उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई एवं उसके बाद दिनांक 12.03.2021 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई तत्पश्चात् दिनांक 25.03.2021 को प्रतिवादी संख्या 5 से 07 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त करने हेतु एक पक्षीय कार्यवाही पेश कर यह कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 07 के अधिवक्ता ने अपनी उपस्थिति दी थी किन्तु दिनांक 04.03.2021 को आदेशिका लिखते समय प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 07 की अनुपस्थिति दर्ज कर दी गई तथा तारीख पेशी भी गलत अंकित हो गयी जिस कारण प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 07 न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके इस पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया, जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 07 को दिनांक 4.03.2021 को भी प्रकरण में आगामी पेशी की पूर्णतया जानकारी थी तथा मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 06 को हैरान व परेशान एवं प्रकरण में अनावश्यक देरी करने के उद्देश्य से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानबूझ कर उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2021 की पूर्णतया जानकारी थी। अतः प्रार्थना पत्र में देरी को जों कारण अंकित किये गये है वह संतोषप्रद नहीं है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील के गुणावगुण पर कथन किया कि न्यायालय द्वारा दिनांक 12.3.2021 को प्रारंभिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिसके तहत तहसीलदार, बिजयनगर को बंटवारा प्रस्ताव हेतु पत्र क्रमांक 31 दिनांक 15.3.2021 को जारी किया गया। जिसके तहत तहसीलदार विजयनगर ने

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

अपने पत्र क्रमांक 861 दिनांक 24.3.2021 को बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट/ प्रतिवादी 01 लगायत 04 द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पर बहस सुनी गई जिसमें निवेदन किया कि जो तहसीलदार द्वारा दिनांक 22.03.2021 को बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट/वादी संख्या 1, 2 के वाद का जवाब देकर काउन्टर क्लेम पेश किया था। अपीलांट के काउन्टर क्लेम को उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.03.2021 को खारिज कर दिया गया है। अपीलांट ने कानूनी प्रावधानों के बाहर जाकर उक्त अपीले पेश कि है अपीलांट ने काउन्टर क्लेम खारिज होने की कोई अपील आदिनांक तक पेश नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्षों द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम का निरतारण करना उचित समझते है।

9. विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं जवाब प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट का यह कथन है कि दिनांक 09.10.2022 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रकरण में जानकारी चाही गयी जिस पर अधिवक्ता द्वारा अनभिज्ञता जाहिर की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण की जानकारी कर प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10.10.2022 को प्रस्तुत किया गया, जानकारी होने पर आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 11.10.2022 को उपलब्ध होने पर प्रार्थी को उक्त आदेश के विरूद्ध चाराजोह करने हेतु विधिक जानकारी दी गई। जानकारी की अन्दर मियाद से उक्त अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है, जबकि पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.02.2021 को रेस्पोडेन्ट/वादी संख्या 01,02 द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब पेश किया गया तथा जवाब की प्रति प्रतिवादी संख्या 5 /अपीलांट एवं प्रतिवादी संख्या 06 व 07/रेस्पोडेन्ट संख्या 07, 08 को दी गई तत्पश्चात् दिनांक 04.03.2021 को प्रतिवादी संख्या 5 से 07 बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुए तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 07 का न्यायहित में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था। दिनांक 10.03.2021 को भी प्रतिवादी संख्या 5 से 07 उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई एवं उसके बाद दिनांक 12.03.2021 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई तथा अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में दिनांक 10.10.2022 को प्रकरण की जानकारी होना बताया है जबकि दिनांक 25.03.2021 को प्रतिवादी संख्या 5 से 07 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त करने हेतु एक पक्षीय कार्यवाही पेश कर यह कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 07 के अधिवक्ता ने अपनी उपस्थिति दी थी किन्तु दिनांक 04.03.2021 को आदेशिका लिखते समय प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 07 की अनुपस्थिति दर्ज कर दी गई तथा तारीख पेशी भी गलत अंकित हो गयी जिस कारण प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 07 न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके, जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री की जानकारी पूर्व से ही थी किन्तु उसकी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है, जो कि मियाद के बिन्दू पर ही खारिज योग्य है किन्तु मान्नीय उच्चतर न्यायालयो ने अपने विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यथासंभव अपील का निस्तारण तकनीकि बिन्दू पर नहीं किया जाकर उसका निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना उचित समझते है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

10. गुणावगुण पर अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.02.2021 को रेस्पोडेन्ट/वादी संख्या 01,02 द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब पेश किया गया तथा जवाब की प्रति प्रतिवादी संख्या 5 /अपीलांट एवं प्रतिवादी संख्या 06 व 07/रेस्पोडेन्ट संख्या 07, 08 को दी गई तत्पश्चात् दिनांक 04.03.2021 को प्रतिवादी संख्या 5 से 07 बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुए तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 07 का न्यायहित में सुनवाई का अवसर प्रदान किया। दिनांक 10.03.2021 को भी प्रतिवादी संख्या 5 से 07 उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई एवं उसके बाद दिनांक 12.03.2021 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई तथा दिनांक 25.03.2021 को प्रतिवादी संख्या 5 से 07 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त करने हेतु एक पक्षीय कार्यवाही पेश कर यह कथन किया कि **प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 07 के अधिवक्ता ने अपनी उपस्थिति दी थी किन्तु दिनांक 04.03.2021 को आदेशिका लिखते समय प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 07 की अनुपस्थिति दर्ज कर दी गई तथा तारीख पेशी भी गलत अंकित हो गयी** जिस कारण प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 07 न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकें। अपीलांट स्वयं अपने दिनांकित 25.03.2021 प्रार्थना पत्र में यह मान रहा है कि दिनांक 04.03.2021 को उपस्थित थें जिससे स्पष्ट है कि उनको अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया था किन्तु प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि अपीलांट स्वयं ही जानबूझ कर उपस्थित नहीं हुए तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया, जिसकी आज दिनांक तक कोई अपील नही की गई है जबकि कानूनी रूप से काउन्टर क्लेम के खारिज किये जाने की पृथक से अपील पेश की जानी चाहिए थी। पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि सभी पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए कानूनी रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य पायी जाती है।

11. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा वाद संख्या 98/2020 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.03.2021 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 06.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner